

SHRI M. S. GURUPADA SWAMY: I want a categorical answer. I want to know whether the Government of India has accepted the fundamental principle that the needs of the basins should receive priority over the claims of other States or other regions in the matter of allocation of water resources.

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: That is what I say. The position differs from locality to locality, from State to State and from country to country. Therefore, the decision cannot apply to all. The Government of India has to consider each and every case and decide what should be done.

SHRI M. S. GURUPADA SWAMY: May I know, Sir, whether it is a fact that the Government of India would give priority to those regions which are very backward in respect of irrigation facilities?

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: I have already said that the Government of India cannot say anything as to what they will do till the report of the Commission is before them.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: May I know, Sir, the terms of reference of the Gulhati Commission?

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: The terms of reference are . . .

MR. CHAIRMAN: Is it very long?

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: The terms of reference of the Commission are:—

“To report on the availability of supplies in the Krishna on the basis of annual flow at Vijayawada and other points taking into account upstream utilisation and allowing for regeneration:

(i) for 86 per cent. dependability as assumed in 1951;

(ii) for 75 per cent. dependability; and

(iii) for such other criterion on dependability as may be considered appropriate . . .”

MR. CHAIRMAN: The rest of it is published in the Gazette.

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: There are so many other things.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह कमीशन की रिपोर्ट कब तक अपेक्षित थी ?

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम : यह मैंने अभी जवाब में अर्ज किया कि आइन्दा आने वाली जुलाई में रिपोर्ट आ जायेगी ।

वक्फ मन्त्रणा परिषद् की सिफारिशें

*८. श्री राम सहाय : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री १९६१-६२ के लिये अपने मन्त्रालय के प्रतिवेदन के सारांश में पृष्ठ १ को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वक्फ मन्त्रणा परिषद् ने अपनी १० अक्टूबर, १९६१ की बैठक में किस तरह की सिफारिशें की है ?

†[RECOMMENDATIONS OF WAKFS ADVISORY COUNCIL

*8. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to page 1 of the Summary Report of his Ministry for 1961-62 and state the nature of recommendations made by the Central Wakfs Advisory Council at its meeting held on the 10th October, 1961?]

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम) : आवश्यक जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

केन्द्रीय वक्फ मलाहकार परिषद् की पहली बैठक १० अक्टूबर, १९६१ को हुई थी । परिषद् के मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(१) या तो दिल्ली मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९४३ को निरसित

कर वकफ अधिनियम, १९५४ की द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाए, या केन्द्रीय अधिनियम के तरीके पर सर्वेक्षण के बारे में उपयुक्त उपबन्धों को समाविष्ट करने के लिए दिल्ली अधिनियम को संशोधित किया जाए।

- (२) वकफों के इंचार्ज मंत्रियों के राज्य वकफ बोर्डों के अध्यक्ष होने के अनौचित्य के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को एक साधारण पत्र लिख दिया जाए।
- (३) राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे काम कर रहे अधिकाचारियों को, जहां भी सम्भव हो, बोर्डों के साथ सलाह करके, वकफ बोर्डों के सेक्रेटरी नियुक्त कर दें।
- (४) राजस्थान सरकार से प्रार्थना की जाए कि वे म्युनिमिपल बोर्डों और पंचायतों को आदेश जारी कर दें कि वे उन मामलों में, जो विवादस्पद नहीं हैं, कबरस्तानों की सीमाएं बनाने की आज्ञा दे दें।
- (५) केन्द्रीय सरकार राज्यों को एक पत्र जारी कर दे जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि उन मामलों में जहां एक राज्य में स्थित वकफों की जायदाद दूसरे राज्यों में हो, लोग किस अधिकारी को पट्टे आदि के लिए प्रार्थना पत्र दें।
- (६) वकफ बोर्डों की कार्य प्रणाली और क्रिया कलापों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कुछ अर्ध-वार्षिक तथा वार्षिक रिटर्नों को विहित कर देना चाहिए।

†[THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM): A statement giving the requisite information is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Recommendations of the Wakfs Advisory Council

The first meeting of the Central Wakf Advisory Council was held on the 10th October, 1961. The main recommendations of the Council are as follows:—

- (i) Either the Delhi Muslim Wakf Act, 1943 should be repealed and replaced by the Wakf Act, 1954 or the Delhi Act should be amended in order to incorporate suitable provisions regarding survey on the lines of the Central Act.
- (ii) A general letter may be addressed to the State Governments in regard to the impropriety of the Ministers in charge of Wakfs being Chairmen of State Wakf Boards.
- (iii) State Governments may be requested to appoint serving officers, wherever possible, as Secretaries of Wakf Boards in consultation with the Boards.
- (iv) The Government of Rajasthan may be requested to issue instructions to Municipal Boards and Panchayats to accord permission to erect boundaries of graveyards in cases where there was a no dispute.
- (v) The Central Government may issue a letter to the States clarifying the authority to which people should refer application for leases etc., in cases where wakfs located in one State have properties in other States.

†[] English translation.

(vi) The Central Government should prescribe some half yearly or annual returns for collecting information regarding the working and activities of Wakf Boards.]

SHRI M. RUTHNASAMY: What is the mystical connection between the Minister of Irrigation and Power and 'Wakfs'?

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम : यह ताल्लुक है कि इरिगेशन मिनिस्टर मुसलमान भी हैं और मुस्लिम आकाफ़ उसके सुपुर्व हैं।

SHRI M. RUTHNASAWMY: In English please.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: May I know, Sir, whether the Government of India has accepted the recommendations made by the Central Wakf Advisory Council?

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: The recommendations made by the Central Wakf Advisory Council are still under consideration. They were made only three or four months ago.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: May I know how long the Government of India will take to come to a final decision on this matter?

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: No time-limit can be fixed. Maybe within a month or so.

श्री ए० एम० तारिक : मैं वज़ीर आबपाशी से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी रियासतें हैं जिन्होंने बोर्ड की सिफ़ारिशत को माना और ऐसी कितनी रियासतें हैं जिन्होंने बोर्ड की सिफ़ारिशत को नहीं माना है ? उसके साथ ही क्या यह दुस्त है कि ग़ैर मुस्लिम बोर्ड के मेम्बर नहीं हो सकते ? अगर यह दुस्त है तो इसके सिलसिले हुकूमत क्या कार्रवाई कर रही है ?

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम : एंडवाइज़री कमेटी की जो सिफ़ारिशें हैं, वह स्टेट्स के पास ज़हर भेजी गई, लेकिन जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि स्टेट्स के पास से अभी तक उनके जवाब नहीं आये हैं।

श्री ए० एम० तारिक : मेरा दूसरा जो सवाल था वह यह था कि क्या यह दुस्त है कि सेंट्रल वकफ बोर्ड के मेम्बर ग़ैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं और रियासती वकफ बोर्ड के मेम्बर भी ग़ैर-मुस्लिम नहीं हो सकते हैं ? अगर यह दुस्त है तो हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की ?

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम : कोई लीगल प्रोहिबिशन तो रास्ते में स्टैंड नहीं करता है। वह तो सिर्फ़ मुनासिबत और मौजूनियत देखने की बात है कि कौन आदमी उस काम को, जो काम कि लेना है, अच्छी तरह से समझ कर कर सकेगा। इसलिये मुसलमान मेम्बर उसमें रहते हैं।

श्री राम सहाय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें जो पहली सिफ़ारिश है कि दिल्ली मुस्लिम वकफ अधिनियम, १९५४ द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाए या, केन्द्रीय अधिनियम के तरीके पर सर्वेक्षण के बारे में उपयुक्त उपबन्धों को समाविष्ट करने के लिये दिल्ली अधिनियम को संशोधित किया जाए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपने क्या निश्चय किया ?

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम : मैंने यह अर्ज़ किया कि हमारे पास अभी सब रायें आई नहीं हैं। जब सब स्टेट्स की रायें आ जायेंगी, तब इसके ऊपर फंसला किया जायेगा।

MR. CHAIRMAN: Next question.

अग्रिम परियोजनाओं सम्बन्धी समिति

***६. श्री राम सहाय :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अग्रिम परियोजनाओं के कार्यक्रम का समन्वय और पुनर्विलोकन करने के लिये केन्द्रीय स्तर पर एक समिति स्थापित करने का जो प्रस्ताव था उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?